न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : भुवनेश्वर सिंह चौहान (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना पत्र अपील सं. 05/2026 **GCMS No. 2026/05**

अपीलांट–	बनाम	उत्तरदातागण–
1. भूराराम पुत्र श्री धर्माराम 2. भेराराम पुत्र धर्माराम जातियान मेगवाल परेऊ तहसील गिड़ा जिला बालोतरा	बनाम	1. . पेमाराम पुत्र अनाराम 2. लुम्भाराम पुत्र अनाराम जातियान मेगवाल परेऊ तहसील गिड़ा जिला बालोतरा 3. तहसीलदार गिड़ा जिला बालोतरा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के विरूद्ध आदेश दिनांक 25.10.2021 को तहसीलदार गिड़ा द्वारा आपसी सहमति जोत बंटवारा पारित किया गया

उपस्थिति :–

1. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सांवलराम मेगवाल उपस्थित।
2. उत्तरदातागण संख्या 1 सें 02 के अधिवक्ता श्री तखतसिंह नामा उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 26.05.2026

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के विरूद्ध आदेश क्रमांक/राजस्व/2021/121 दिनांक 25.10.2021 को तहसीलदार गिड़ा द्वारा सह खातेदारों के मध्य आपसी सहमति से विभाजन करने के लिए पारित किया गया। तहसीलदार गिड़ा द्वारा पारित निर्णय अनुसार तहसील गिड़ा के अपीलांटकर्ता एवं उतरदाता संख्या 1 से 02 की संयुक्त खातेदारी के खेत अपीलकर्ता खेत खसरा सं. 390 रकबा 0.0971 हैक्टयर किस्म गै0मु0 ढाणी,खसरा संख्या 14.5201 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 391,820/391 रकबा .5989 हैक्टयर कुल संयुक्त रकबा 15.2161 हैक्टेयर सरहद मौजा परेऊ पटवार क्षेत्र परेऊ तहसील गिड़ा अवस्थित रही है, जो समस्त भूमियां अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट सं. 01 से 02 की संयुक्त खातेदारी है। यह हैं कि अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट उपरोक्त भूमियों का मौके पर कब्जा काश्त, रहवासीय ढाणिया, पशुओं का बाड़ा, चारवाड़ा, आवागमन के रास्ते इत्यादि को ध्यान में रखते हुए सहमति से बंटवाड़ा कराने की मंशा जाहिर की, इसी दरमियान सभी पक्षकारान ने सहमति से विभाजन यह जानते हुए कि मौके पर जिस प्रकार कब्जा हैं, तथा मौके पर विभाजित होने वाली भूमियों में आवागमन का रास्ता उनके द्वारा चाहे गये स्थान पर रखा जाकर बंटवाड़ा किया जायेगा, इसलिए दोनों पक्षों ने सम्बन्धित पटवारी से मिल कर विभाजन प्रस्ताव मौके पर तैयार करवाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया और हल्का पटवारी को ऐसा कहने पर हल्का पटवारी द्वारा आश्वस्त किया गया कि, मौके पर काबिज अनुसार विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया जावेगा, किन्तु हल्का पटवारी द्वारा अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट के मध्य जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। वक्त सहमति बंटवाड़ा मौके पर विपरीत स्थिति के विभाजित कर दिया, इसलिए ऐसे विभाजन प्रस्ताव, विभाजन की कार्यवाही व आदेश को यर्थार्थ स्वरूप में रखना न्याय हित में नहीं होने से निम्न आधारों पर अपीलकर्ता, मौके पर कब्जा काश्त, रहवासीय ढाणियां, चारवाड़े, पशुओं बाड़ें इत्यादि व आवागमन हेतु रखी गयी भूमि अनुसार तैयार नहीं कर मौके के विपरीत तैयार कर दिया, इस कारण सभी खातेदारों का हिस्सा सही नहीं होने से एक दुसरे के कब्जे के विपरीत स्थिति उत्पन्न हो गयी, सह खातेदारों के मध्य आपसी सहमति से विभाजन आदेश आदेश क्रमांक/राजस्व/2021/121 दिनांक 25.10.2021 को निरस्त करने हेतु अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

1. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तथा उभयपक्षकारों कि बहस सुनी गई। प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि तहसीलदार गिड़ा द्वारा अपीलाधीन आदेश आदेश क्रमांक/राजस्व/2021/121 दिनांक 25.10.2021 को पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की हैं, इस कारण मौके पर विवाद उत्पन्न हो गया।
2. अतः हमनें अपीलांट व अपीलांट के अधिवक्ता एवं रेस्पोड़ेट सख्या 01 सें 02 के अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड, दस्तावेज का अवलोकन किया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा

जिसमें पाया कि यह आवश्यक था, कि सह खातेदारान के मध्य जब संयुक्त भूमि का विभाजन किया जावे, तब भूमि पर काबिज पक्षकारान की रहवासीय ढाणियों, पानी के टाकों, आवागमन हेतु रखी गयी भूमि जिस जगह तरमीम की जा रही हैं, उससे किसी पक्षकारान के विधिक हक प्रतिकूल रूप से प्रभावित नही हो, किन्तु अपीलाधीन आदेश में ऐसी सम्यक तत्परता अधिनस्थ तहसीलदार द्वारा नहीं बरतने से सह खातेदारान के विधिक हक प्रतिकूल रूप से प्रभावी हो रहे हैं, जिस वक्त अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 सें 2 ने विभाजन कार्यवाही पर हस्ताक्षर किये तब ऐसे लट्ठा ट्रेस नक्शे में सहखातेदरान के विभाजित हिस्से में रंग भरकर अलग नहीं किया हुआ था, इस कारण ऐसे तथ्यों की जानकारी अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 2 को नहीं हुई, इस आधार पर उक्त आदेश निरस्त/अपास्त किये जाने योग्य हैं।

3. उक्त आदेश की पालना में पक्षकारान के खसरों का बंटवारों का विभाजन किया गया जिसमें मुख्य आपत्ति कब्जे को लेकर है, उक्त बंटवाड़ा मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत हुआ है, जिसके कारण राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति का मिलान नहीं हो रहा है। कानून की मंशा है कि राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति समानान्तर होनी चाहिए, ताकि एकरूपता बनी रहें एवं अपीलाधीन भूमि के संबंध में अपीलाधीन आदेश आदेश क्रमांक/राजस्व/2021/121 दिनांक 25.10.2021 निरस्त करवाकर मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति अनुसार बंटवाड़ा किया जावें। लिहाजा अपीलाधीन निर्णय से सम्बन्धित अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपीलांटगण की अपील स्वीकार की जाती है।

अतः बाद विवेशन अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार गिड़ा आदेश क्रमांक/राजस्व/2021/121 दिनांक 25.10.2021 को अपास्त किया जाता है प्रकरण तहसीलदार गिड़ा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान की सहमति एवं मौके पर कब्जे काश्त, हिस्सा अनुसार भूमि के विभाजन का नया आदेश पुनः विधिवत आदेश पारित करें।

4. निर्णय आज दिनांक 26.05.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

5. पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो।

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

(भुवनेश्वर सिंह चौहान)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा